

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 28 मार्च, 2008

विषय:-महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008, दिनांक 08.02.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल डा० वीरेन्द्र स्वरूप इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।

5. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवेदन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश ह
परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक
माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्य
आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध करा
जायेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या-471(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।

3. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर,
शांतिपथ, जयपुर।

4. प्रबन्धक, डा० वीरेन्द्र स्वरूप इस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर।

5. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

९

(आर०के०मिश्र)

अनु सचिव।

↓

प्रतिलिपि पत्र संख्या-471/सत्तर-6-2008-2(425)/2007 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008 दिनांक 08.02.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल डा० वीरन्द्र स्वरूप इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी ।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है ।
5. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवंटन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस सम्बन्ध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/ 895 /2008

दिनांक 05/04/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, डा० वीरन्द्र स्वरूप इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र (छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित शर्तों की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008, कानपुर ।
3. सहायक कुलसचिव(बी०एड० प्रवेश परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008, कानपुर ।
5. ईचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/437/2008, कानपुर ।
6. अतिगोपनीय विभाग ।

(अखिलेश कुमार पाल)
उप कुलसचिव (सम्ब०)
कृते कुलसचिव